मूल

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/44

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
177 दावा	37/24	29/1/24	23/9/24	13/2/24 14/8/24 3/9/24 23/9/24

अनवान

श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

निवासी बिजौलिया

श्री तेजमल S/o मोगु

निवासी आंटी

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री पैरोकार सरकार

श्री Ex-Party

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

राजस्थान सरकार बनाम तेजमल

किस्म मुकदमा 177 नम्बर 37 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/1/2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 13/2/2024 को वास्ते तलवी/जवाब पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
13/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 5/3/24 को पेश हो (हस्ताक्षर)	5/3
5/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 16/4/24 को वास्त तलबी पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी	
16/4/2024	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 15/5/24 [illegible] वास्त तलबी पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी	
15/5/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 5/6/24 को वास्ते तलबी पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी	
5/6/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 26/6/24 को वास्त तलबी पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी	

6/6/24 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली
दिनांक 10/7/24 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

10/7/24 पत्रावली पेश हुई। विपक्षी (6) फौत हो चुका है। विपक्षी (6) नाबालिग था, उसके संरक्षक गुंजी पहले से ही प्रतिवादीयों में शामिल है। विपक्षी 6 का नाम हटाया जावें। शेष विपक्षी गण की बाद तामील प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी (1, 2, 3, 4, 5, 7) के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते उचित आदेश आगामी दिनांक 14/8/24 को पेश हो।

14/8/24 पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली
दिनांक 3/9/24 को वास्ते उ.आ. पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

3/9/24 पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 23/9/24 को पेश हो।

23/9/24 पत्रावली पेश हुई पेशकार सरकार उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। तहसीलदार बिजौलिया को पालनाई तहरीर जारी होकर पत्रावली कैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 37 / 2024

दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादी

बनाम्

1. तेजमल पुत्र मांगु जाति बंजारा निवासी आंटी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
2. बदाम पुत्री लखा जाति बंजारा निवासी आंटी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
3. बहादुर पुत्र मांगु जाति बंजारा निवासी आंटी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
4. मु.गुंजी पत्नी मांगु जाति बंजारा निवासी आंटी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
5. नाबालिग मदन पुत्र मांगु संरक्षक सरपरस्त गुंजी जाति बंजारा निवासी आंटी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
6. नाबालिग महेन्द्र पुत्र मांगु संरक्षक सरपरस्त गुंजी जाति बंजारा निवासी आंटी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
7. सोसर पुत्री लखा जाति बंजारा निवासी आंटी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. पैरोकार तहसीलदार।
02. एकपक्षीय

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 23/09/2024

उप खण्ड अधिकारी जिला–भीलवाड़ा

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आंटी पटवार मण्डल गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 560 / 23 रकबा 1.1007 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय व आराजी नं0 26 रकबा 0.728 हैंक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि प्रतिवादीगणों के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नं0 560 / 23 रकबा 1.1007 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय व आराजी नं0 26 रकबा 0.728 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि में खातेदारों की मौके पर काश्त नही हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया। प्रतिवादीगणों ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर आराजी नं0 560 / 23 रकबा 1.1007 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय व आराजी नं0 26 रकबा 0.728 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि पर मौके पर अवैध खनन होकर उक्त आराजी का कृषि उपयोग नहीं हो रहा है।

अतः प्रतिवादीगणो की ग्राम आटी पटवार मण्डल गुढा की आराजी नं0 560 / 23 रकबा 1.1007 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय व आराजी नं0 26 रकबा 0.728 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये।

उक्त प्रकरण में विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ।

प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नये खाता संख्या 63 ग्राम आटी पटवार मण्डल गुढा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की प्रति प्रस्तुत की हैं। नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न हैं। गूगल मेप व जीपीएस मेप की प्रति संलग्न हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार एवं अधिवक्ता विपक्षी की बहस पर मनन किया।

—: आदेश :—

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम आटी पटवार मण्डल गुढा की आराजी नं0 560/23 रकबा 1.1007 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय व आराजी नं0 26 रकबा 0.728 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 23/09/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजित सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 37/2024 दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........डिक्रीदार

बनाम्

1. तेजमल पुत्र मांगु जाति बंजारा निवासी आंटी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
2. बदाम पुत्री लखा जाति बंजारा निवासी आंटी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
3. बहादुर पुत्र मांगु जाति बंजारा निवासी आंटी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
4. मु.गुंजी पत्नी मांगु जाति बंजारा निवासी आंटी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
5. नाबालिग मदन पुत्र मांगु संरक्षक सरपरस्त गुंजी जाति बंजारा निवासी आंटी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
6. नाबालिग महेन्द्र पुत्र मांगु संरक्षक सरपरस्त गुंजी जाति बंजारा निवासी आंटी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
7. सोसर पुत्री लखा जाति बंजारा निवासी आंटी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.......मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 23/09/2024
डिक्री दिनांक : 23/09/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई पैरोकार तहसीलदार बिजौलियां एक पक्षीय मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिग्री जारी की जाती है कि :-

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अंतिम रुप से डिक्री किया जाकर ग्राम आटी पटवार मण्डल गुढा की आराजी नं0 560/23 रकबा 1.1007 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय व आराजी नं0 26 रकबा 0.728 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/09/2024 को जारी की गई।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

नीज ....Nil.............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......
र्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से
रीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

लय उप खण्ड अधिकारी
याँ जिला–भीलवाड़ा